आधार (डाटा सुरक्षा) विनियम, 2016[1]

(15.2.2024 तक अद्यतीकरण किया गया)

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 54 की उप-धारा (2) के उप-खंड (पी) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत : :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (डाटा सुरक्षा) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18 वां) से है;

(ख) ''प्राधिकरण'' का अभिप्राय धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिरकण से है;

(ग) ''केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार'' अथवा ''सीआईडीआर'' का अभिप्राय एक या एक से अधिक स्थानों पर केंद्रीकृत डाटा बेस है, जिसमें आधार नंबर धारक को जारी आधार नंबर सहित ऐसे व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय तथा बायोमैट्रिक सूचना तथा तत्संबंधी अन्य संबद्ध सूचना शामिल हैं, से है;

(घ) ''नामांकन एजेंसी'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय तथा बायोमैट्रिक सूचना का संग्रहण करने हेतु प्राधिकरण या किसी रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त एजेंसी, जैसा भी मामला हो, से है;

(ङ) ''सूचना सुरक्षा संबंधी नीति'' का अभिप्राय इन विनियमों के विनियम 3 के तहत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट नीति से है;

(च) ''कार्मिक'' का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के तहत किन्ही कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकरण अथवा सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्यरत अथवा संलग्न किए गए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टॉफ व अन्य व्यक्तियों से है;

(छ) ''रजिस्ट्रार'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों को नामांकित करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यताप्राप्त किसी संस्था से है;

(ज) ''विनियम'' का अभिप्राय इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम से है;

---

[1]भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 14.9.2016 में अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/कानूनी/ यूआईडीए आई (2016 की संख्या 4), दिनांक 12.9.2016 द्वारा प्रकाशित।

(झ) ''अनुरोध करने वाली संस्था'' का अभिप्राय किसी एजेंसी या व्यक्ति से है, जो कि अधिप्रमाणन के लिए केंद्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को किसी व्यक्ति विशेष के आधार नंबर तथा जनसांख्यिकीय सूचना अथवा बायोमैट्रिक सूचना प्रस्तुत करता है;

(ट) ''सेवा प्रदाता'' में प्राधिकरण द्वारा इसकी प्रक्रियाओं के संबंध में किन्ही कृत्यों से निर्वहन हेतु प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित संस्थाएं शामिल हैं।

(2) इन विनियमों के उपयोग के लिए अन्य शब्द या वाक्य, जिन्हें यां परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और/अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों तथा अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमश: वही अर्थ होगा, जो कि उन्हें अधिनियमों अथवा नियम अथवा अन्य विनियमों अथवा किन्ही सांविधिक आशोधनों अथवा तत्संबंधी पुर्न-अधिनियम, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

3. सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय.—(1) प्राधिकरण, सूचना सुरक्षा संबंधी नीति के साथ ही साथ प्राधिकरण तथा इसके कर्मियों द्वारा अंगीकार की जाने वाली तकनीकी तथा संगठनात्मक उपयोग के साथ ही प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसी, अनुरोध करने वाली संस्था तथा अधिप्रमाणन एजेंसियों द्वारा अनुबंधित एजेंसियों, परामर्शदाताओं, सलाहकार तथा अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायोग को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(2) ऐसी सुरक्षा संबंधी नीति में निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा:-

क. सूचना और सूचना को संसाधित करने वाली सुविधाओं से संबद्ध परिसम्पत्तियों की वस्तु-सूची की पहचान तथा उनका रख-रखाव;

ख. परिसम्पत्तियों की कोई हानि, क्षति, चोरी, अथवा उन्हें जोखिम में डालने से बचने के लिए नियंत्रण प्राक्रियाओं को लागू करना;

ग. गोपनीय सूचना तक केवल नियंत्रित पहुंच प्रदान करना;

घ. वॉयरस/मैलवेयरों का पता लगाने या उनके विरूद्ध सुरक्षा के लिए नियंत्रण करना;

च. परिवर्तन किए जाने के दौरान, सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया;

छ. भेद्यता तथा सुरक्षा जोखिमों से सूचना प्रणालियों को सुरक्षित बनाने के लिए एक 'पैच मैनेजमेंट सिस्टम'

ज. असामान्य घटनाओं तथा पैटर्नों की पहचान करने के लिए एक सुदृढ निगरानी प्रक्रिया स्थापित करना, जो सूचना प्रणालियों की सुरक्षा तथा कार्यनिष्पादन को प्रभावित कर सकता है तथा उपर्युक्त सूचना प्रदान करने तथा तत्संबंधी न्यूनीकरण प्रक्रिया;

झ. बायोमैट्रिक सूचना वाले डाटा पेकेटों को कूटबद्ध करना तथा केवल सुरक्षित अवस्थितियों में उसकी आकूटबद्धता सुनिश्चित करना;

1. जोखिम तथा विश्वास आधार पर सीआईडीआर नेटवर्क का पार्टिशन करना;
2. सीआईडीआर नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए अनिवार्य तकनीकी नियंत्रण लगाना;

3. आपदा की स्थिति में सेवा को जारी रखना;
4. उपकरण, प्रणालियों तथा नेटवर्कों की निगरानी;
5. धोखाधडी से बचने तथा धोखाधड़ी होने पर प्रभावी उपचार के लिए उपाय करना;
6. कर्मियों के साथ गैर-प्रकटन करार करने संबंधी आवश्यकता;
7. आंतरिक प्रणालियां तथा नेटवर्कों की लेखापरीक्षा करने के लिए उपबंध;
8. प्रक्रियाओं, प्रणालियों तथा नेटवर्कों से संबंधित कमियों पर निगरानी रखना;
9. प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित एजेंसियों, परामर्शदाताओं, सलाहकारों अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ किए गए करार तथा व्यवस्थाओं में सुरक्षा तथा गोपनीयता दायित्वों को शामिल करना।

(3) प्राधिकरण, सूचना की सुरक्षा संबंधी नीति तथा सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं की आंतरिक लेखापरीक्षाओं अथवा स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से अनुपालन किए जाने की निगरानी करेगा।

(4) प्राधिकरण, सूचना सुरक्षा संबंधी नीति तथा प्राधिकरण के अन्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम तथा पहल की निगरानी करने तथा उसका प्रसार करने के लिए एक अधिकारी को मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रुप में पदनामित करेगा।

4. कर्मियों का सुरक्षा संबंधी दायित्व.—(1) कर्मी, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी सूचना सुरक्षा नीति तथा अन्य नीतियों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करेंगे।

(2) अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर्मचारियों पर प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्रवाई की जा सकती है।

बशर्ते कि संबंधित कर्मी के विरूद्ध सुने जाने हेतु एक उपर्युक्त अवसर दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

5. सेवा प्रदाताओं आदि का सुरक्षा संबंधी दायित्व.—प्राधिकरण द्वारा प्रक्रियाओं से संबंधित किन्ही कृत्यों के निर्वहन हेतु अनुबंधित एजेंसियां, परामर्शदाता, सलाहाकार तथा अन्य सेवा प्रदाता निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे :-

(क) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट सूचना सुरक्षा संबंधी नीति का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे;
(ख) सुरक्षा संबंधी नीति तथा संविदागत आवश्यकताओं, जैसाकि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, की अनुपालना के संबंध में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;
(ग) प्राधिकरण के कार्यकरण के संबंधित सूचना की गोपनीयता, पूर्णता तथा उपलब्धता को प्रभावित करने वाले किन्ही सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बारे में त्वरित रूप से प्राधिकरण को जानकारी देना;
(घ) प्राधिकरण से संबंधित अभिलेखों को हानि होने, नाश होने, फर्जीवाडे, अप्राधिकृत पहुंच तथा अप्राधिकृत रूप से जारी किए जाने से रक्षा किया जाना सुनिश्चित करेंगे;
(च) करार की अवधि के दौरान तथा उसके समाप्त होने पर गोपनीयता संबंधी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा;

(छ) यह सुनिश्चित किया जा कि कर्मचारियों तथा स्टॉक के सदस्यों के साथ करार में उपर्युक्त सुरक्षा तथा गोपनीय संबंधी दायित्वों का उपबंध किया जाए ;

(ज) यह सुनिश्चित किया जाए कि सीआईडीआर डाटा केंद्रों तथा वास्तविक तथा लॉजिकल पहुंच प्राप्त कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच आवश्यक रूप से की जाए;

(झ) संवेदनशील सूचना रखने वाली सुरक्षा परिधि को परिभाषित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ऐसे क्षेत्र तक केवल प्राधिकृत व्यक्ति को ही पहुंच प्रदान की जाएं, जिससे डाटा के चोरी होने तथा उसके दुरूपयोग से रोका जा सके;

(ञ) जहां कर्मचारी, बायोमैट्रिक डाटा का संचालन करें, वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि वे केवल ऐसे बायोमैट्रिक उपकरणों का ही उपयोग करें, जोकि प्राधिकरण द्वारा किसी अधिप्रमाणन निकाय द्वारा प्रमाणित हो तथा यह सुनिश्चित करें कि बायोमैट्रिक डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

6. सेवा प्रदाताओं की लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण आदि.—(1) प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित सभी एजेंसियां, परामर्शदाता, सलाहकार तथा अन्य सेवा प्रदाता तथा अन्य भागीदारों जैसे रजिस्ट्रार, अनुरोध करने वाल संस्थाएं, अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसियां तथा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियां अपने प्रचालनों की लेखापरीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत किसी मान्यता प्राप्त निकाय से अनुप्रमाणित करवाएंगे तथा प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण को लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, प्राधिकरण स्वयं अथवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी लेखापरीक्षक के माध्यम से ऐसी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के प्रचालन तथा प्रणालियों की लेखापरीक्षा कर सकता है।

7. गोपनीयता.—प्राधिकरण द्वारा गोपनीय माने जाने वाली सुरक्षा संबंधी सभी कार्यपद्धितियों, आदेश, प्रक्रियाएं, मानक तथा नयाचार को इसके सभी कर्मियों द्वारा गोपनीय माना जाएगा तथा सभी पक्षों द्वारा केवल उस सीमा तक उद्घटन किया जाएगा, जहां तक वे सुरक्षा उपायों को मूर्तरूप देने के लिए अनिवार्य हों। जब तक कि अधिनियम के तहत अधिदेशित न किया गया हो, सूचना जिन्हें प्राधिकरण से सांझा नहीं किया जा सकता है, उसमें सीमित रूप से सीआईडीआर में सूचना, प्रौद्योगिकी संबंधी ब्यौरा, नेटवर्क संरचना, सूचना की सुरक्षा संबंधी नीति तथा प्रक्रियाएं, सॉफ्टवेयर कोड, आंतरिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षा तथा मूल्यांकन रिपोर्ट, अनुप्रयोग के संबंध में ब्यौरे, परिसम्पत्ति ब्यौरा, संविदागत करार, विद्यमान तथा भावी आयोजन संबंधी अवसंरचनात्मक ब्यौरा, सुरक्षा संबंधी सेवा तथा प्रणाली की समक्षता शामिल हैं।

8. व्यावृत्ति.—भारत सरकार के योजना आयोग के दिनांक 28 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशासन-1 के माध्यम से स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के किसी अधिकारी, अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना पूर्व, द्वारा जारी सभी कार्यपद्धति, आदेश, प्रक्रियाएं, मानक तथा नीतियां अथवा हस्ताक्षर किए सभी समझौता ज्ञापन, करार अथवा सविदाएं उस सीमा तक लागू

रहेंगी, जबतक कि वे अधिनियम के उपबंधों तथा तत्संबंध के तहत तैयार किए गए अधिनियम अथवा विनियम के तहत असंगत सिद्ध न हो जाएं।

9. नीतियां, प्रक्रिया दस्तावेज आदि जारी करने संबंधी शक्तियां.—प्राधिकरण ऐसी नीतियां, प्रक्रियाएं, मानक तथा अन्य दस्तावेज जारी कर सकता हैं, जो इन विनियमों के विरुद्ध नहीं हैं तथा जिन्हें इन विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है अथवा जिनके लिए इन विनियमों को प्रभावी बनाने हेतु उपबंध किया जाना अनिवार्य है।

10. स्पष्टीकरण तथा दिशानिर्देशों को जारी करने की शक्ति तथा कठिनाईयों का निराकरण.—इन विनियमों के अनुप्रयोग अथवा निर्वचन से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने अथवा इन विनियमों के कार्यान्वयन में किन्ही कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए, प्राधिकरण के पास परिपत्र के रूप में स्पष्टीकरण तथा दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति होगी, जिनका प्रभाव विनियम के समान होगा।